भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1875
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को दिया जाना है

अपर्याप्त न्यायिक अवसंरचना

1875 श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या अधीनस्थ न्यायापालिका में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या से कम है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) अवसंरचनात्मक सुविधाओं और अधीनस्थ न्यायपालिका को पेश आ रही अवसंरचनात्मक चुनौतियों से निपटने में सरकार को पेश आ रही बाधाओं का ब्यौरा क्या है और इनके समाधान हेतु कौन- कौन से कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) न्यायालय हॉल की स्वीकृत संख्या और उनकी उपलब्धता के बीच लगभग 3500 और आवासीय इकाइयों की स्वीकृत संख्या और उनकी उपलब्धता के बीच लगभग 6200 के अंतर को पाटने के लिए ठोस योजना का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या 25,189 और कार्यरत पद संख्या 19,521 के विरुद्ध देश में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए 21295 न्यायालय हॉल और 18742 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं। 25189 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या की तुलना में, 3894 न्यायालय हॉल और 6447 आवासीय इकाइयों का अंतर है, लेकिन जब न्यायिक अधिकारियों की वास्तविक कार्यरत पदसंख्या की तुलना की जाती है, तो न्यायालय हॉल की कोई कमी नहीं है, और आवासीय इकाइयों की थोड़ी कमी है। हालाँकि, 1655 की संख्या में आवासीय इकाइयाँ और 2806 की संख्या में न्यायालय हॉल पहले से ही निर्माणाधीन हैं। राज्य-वार ब्यौरे **उपाबंध** पर है । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है । तथापि, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के संसाधनों की अभिवृद्धि करने के लिए संघ सरकार, केन्द्र और राज्यों के मध्य विहित निधि साझा पेटर्न में उन्हे वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीयकृत प्रयोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । यह स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । इसमे जिला और अधीनस्थ न्यायापालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और वास सुविधाओं का निर्माण समाविष्ट है । यह स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इस स्कीम में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों

और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी समाविष्ट होगा। इस स्कीम के प्रारंभ से आज तक 9812.82 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई हैं, जिसमें से 6368.51 करोड़ रू (64.90%) वर्ष 2014-15 से जारी किए गए हैं ।

बाधाओं के संबंध में, कोविड-19 महामारी के कारण राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च में सामान्य कमी आई, इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय द्वारा यह देखा गया कि सीएसएस के अधीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की जा रही निधियों को समयबद्ध रीति से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों के पास बड़ी मात्रा में अव्ययित शेष राशि है। सरकार ने सीएसएस को निधियां जारी करने के लिए एक संशोधित सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की शुरुआत की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्रीय धन और संबंधित राज्य के हिस्से का उचित उपयोग किया गया है और केवल उस विनिर्दिष्ट स्कीम में निवेश किया गया है। कई प्रक्रियात्मक और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को पीएफएमएस ऑन-बोर्ड करने में कुछ समस्याएँ थीं। हालाँकि, समय बीतने के साथ उन सभी तकनीकी समस्याओं को ठीक/निपटारा कर लिया गया और सभी राज्य अब पीएफएमएस में शामिल हो गए हैं और केवल पीएफएमएस के माध्यम से खर्च कर रहे हैं।

राज्यों को नियमित रूप से लिखने के अलावा, न्याय विभाग की केंद्रीय स्तर की निगरानी समिति ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ नियमित आधार पर द्विमासिक बैठकें कीं, जिसके दौरान सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से उनके पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि का शीघ्रता से उपयोग करने का आग्रह किया गया।

****

उपाबंध

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं0 1875, जिसका उत्तर 16.03. 2023 को दिया जाना है, जो तारीख 10.03.2023 को स्वीकृत/कार्यरत पदसंख्या और न्यायालय हॉलों/आवासीय इकाईयों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौर से संबंधित है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्वीकृत पदसंख्या	कुल कार्यरत पदसंख्या	कुल न्यायालय हॉल	कुल आवासीय इकाईयां
1	आंध्र प्रदेश	0	13	17	10
2	अंदमान और निकोबार द्वीप	618	548	647	574
3	अरुणाचल प्रदेश	41	33	29	29
4	असम	485	425	424	371
5	बिहार	2016	1350	1505	1197
6	चंडीगढ़	30	30	31	30
7	छत्तीसगढ़	552	437	475	461
8	दादरा और नागर हवेली	3	2	3	3
9	दिल्ली	4	4	5	5
10	दीव और दमण	887	709	694	348
11	गोवा	50	40	53	26
12	गुजरात	1582	1151	1524	1341
13	हरियाणा	772	574	561	518
14	हिमाचल प्रदेश	179	163	170	153
15	जम्मू - कश्मीर	314	222	199	122
16	झारखंड	694	505	658	609
17	कर्नाटक	1375	1134	1185	1142
18	केरल	601	471	563	538
19	लद्दाख	17	9	9	6
20	लक्षद्वीप	4	4	3	3
21	मध्य प्रदेश	2028	1644	1543	1681

22	महाराष्ट्र	2190	1940	2350	2055
23	मणिपुर	59	42	43	16
24	मेघालय	99	51	53	26
25	मिजोरम	74	41	47	37
26	नागालैंड	34	24	30	39
27	ओड़िशा	1001	814	814	707
28	पुडुचेरी	28	11	36	29
29	पंजाब	797	589	589	625
30	राजस्थान	1587	1249	1338	1137
31	सिक्किम	30	23	20	15
32	तमिलनाडु	1343	1061	1215	1343
33	तेलंगाना	560	419	533	475
34	त्रिपुरा	128	108	82	91
35	उत्तर प्रदेश	3694	2494	2758	2349
36	उत्तराखंड़	299	269	253	210
37	पश्चिमी बंगाल	1014	918	836	421
कुल		**25189**	**19521**	**21295**	**18742**

स्रोत: एमआईएस पोर्टल (न्याय विभाग)

****